न्यायालय : पंकज कुमार श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मैहर जिला सतना (म.प्र.)

Registration No-	**SCNIA/220/2021**
Filing No-	**2617-2021**
C.N.R. No-	**MP1906003158-2021**
Filing Date-	**10-11-2021**

/ / निर्णय / /
(दिनांक 11.07.2026 को घोषित)

परिवादी	शिवाकांत नामदेव पिता रामस्वरूप नामदेव उम्र 47 वर्ष निवासी पिपराकला तहसील मैहर जिला सतना म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री भूपेन्द्र गौतम अधिवक्ता
अभियुक्त	मुन्ना पटेल पिता धर्मदास पटेल निवासी वार्ड नं. 24 थाना मैहर जिला सतना (वर्तमान जिला मैहर) म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री आई.ए. अंसारी, अधिवक्ता

चेक अनादरण तिथि	17.09.2021
परिवाद पत्र की तिथि	08.11.2021
आरोपों की विरचना की तिथि	07.02.2024
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	22.03.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	08.07.2026
निर्णय की तिथि	11.07.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	11.07.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्त या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. / 468 भा.ना.सु.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान

							भोगी गई निरोध की अवधि
1.	मुन्ना पटेल	–	08.11. 2023	धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम	दोषसिद्ध	निर्णय के चरण क्रमांक 26 के अनुसार	प्रमाण पत्र के अनुसार

परिवादी / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. परिवादी साक्षी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
प.सा.–01	शिवाकांत नामदेव	परिवादी साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1	–	–

परिवादी / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. परिवादी :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी.–01 / प.सा.–1	प्रश्नगत चेक
2	प्र.पी.–02 / प.सा.–1	चेक रिटर्न मेमो
3	प्र.पी.–03 / प.सा.–1	मांग सूचना पत्र
4	प्र.पी.–04 / प.सा.–1	डाक रसीद
5	प्र.पी.–05 / प.सा.–1	वापसी लिफाफा

ख. प्रतिरक्षा :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	–	–

ग. न्यायालयीन प्रदर्श–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	–	–

घ. महत्वपूर्ण वस्तुएं–

क0	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1.	–	–

परिवादी की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से उद्‌भूत प्रकरण।

:: **निर्णय** ::

1. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध का परिवाद इस आशय का प्रस्तुत है कि अभियुक्त द्वारा किसी ऋण या दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए चेक क्रमांक 29595 दिनांक 15.09.2021 राशि 50,000/– रुपये का शारदा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित शाखा मैहर का भुगतान हेतु परिवादी को परिदत्त किया जो कि परिवादी के द्वारा समय सीमा में भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया तथा परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से चेक धनराशि मांग का प्रेषित सूचनापत्र प्राप्त हो जाने पश्चात् भी प्रश्नगत चेक राशि परिवादी को संदाय नहीं की है।

2. परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी एवं अभियुक्त दोनों के मध्य मधुर संबंध थे व एक–दूसरे पर काफी भरोसा व विश्वास करते थे। अभियुक्त द्वारा अगस्त 2020 में अपने निजी जरूरतों की पूर्ति के लिये 50,000/– रूपये की आवश्यकता होने के कारण परिवादी से आठ माह की अवधि के लिये उधार मांगा था तब परिवादी ने व्यवस्था करके अभियुक्त को 50,000/– रूपये कृष्णा मार्केट देवी जी रोड मैहर स्थित भांजे की दुकान में दिया था। अभियुक्त द्वारा परिवादी से ली गयी उधार राशि 8 माह बीत जाने के बाद भी चुकता नहीं किया गया तब माह

मई 2021 में रूपये की अति आवश्यकता होने पर परिवादी के द्वारा अभियुक्त से राशि वापस मांग की गयी तब अभियुक्त के द्वारा अतिशीघ्र उधार की राशि चुकता करने का आश्वासन दिया किंतु अभियुक्त के द्वारा राशि चुकता नहीं दी गयी। माह अगस्त 2021 में पुनः अभियुक्त से कई बार रूपये की मांग की गयी जिस पर अभियुक्त दिनांक 15.09.2021 को परिवादी के पास आकर मां शारदा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित शाखा मैहर के अपने खाता का चेक क्र. 29595 में राशि 50,000/– रूपये अंकित कर व अपने हस्ताक्षर तथा दिनांक 15.09.2021 की तिथि अंकित कर परिवादी को दिया। परिवादी द्वारा उक्त चेक को आहरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा मैहर में दिनांक 15.09.2021 को जमा किया गया किंतु उक्त खाता में चेक अनुसार पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक अनादरित होकर बैंक शाखा के द्वारा दिनांक 17.09.2021 के रिटर्न मेमो में दर्शित कारण ''फंड इनसफिसियंट'' की टीप के साथ परिवादी को वापस कर दिया।

3. परिवाद पत्र में आगे यह भी लेख है कि अभियुक्त द्वारा दिये गये उक्त चेक के अनादरण की जानकारी अभियुक्त को दी गयी, किंतु अभियुक्त उक्त चेक के अनादरण के संबंध में न तो परिवादी से कोई चर्चा कर रहा है और न ही चेक अनुसार राशि भुगतान में कोई सहयोग कर रहा है। परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 29.09.2021 को नोटिस के माध्यम से नोटिस प्राप्त होने के 15 दिवस के अभियुक्त के द्वारा दिये गये चेक में अंकित राशि अनुसार रूपये चुकता करने हेतु अभियुक्त से मांग किया, किंतु अभियुक्त ने डाकिया से मिलकर गांव चले जाने की टीप लगवाकर उक्त नोटिस को वापस करा दिया गया। अभियुक्त द्वारा उक्त चेक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं करने के कारण परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत परिवाद प्रस्तुत किया है।

4. अभियुक्त द्वारा इस निर्णय के चरण क्र. 1 में वर्णित अपराध को अस्वीकार करते हुये धारा 313 द.प्र.सं./351 भा.ना.सु.सं. के अपने परीक्षण में कथन

किया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसे झूंठा फसाया है। बचाव पक्ष द्वारा अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

1. क्या अभियुक्त द्वारा किसी ऋण अथवा दायित्व से उन्मोचन के लिये स्वयं के खाते का कमांक 29595 दिनांक 15.09.2021 राशि 50,000/— रुपये का शारदा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित शाखा मैहर का भुगतान हेतु परिवादी के पक्ष में जारी किया था ?
2. क्या उक्त चेक नियत अवधि में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित बैंक द्वारा अनादरित किया गया ?
3. क्या परिवादी ने अभियुक्त को नियत अवधि में लिखित मांग सूचना पत्र चेक की राशि अदा करने के लिये दिया था ?
4. क्या अभियुक्त द्वारा मॉग सूचना पत्र प्राप्त हो जाने के बाद भी चेक की राशि अदा नहीं की गई ?
5. दोषसिद्धि या दोषमुक्ति ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02

6. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न एक ही संव्यवहार से संबंधित होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 104 के प्रावधान के अनुसार उक्त विचारणीय प्रश्नों को प्रमाणित करने का भार परिवादी पर है। जिसके संबंध में परिवादी द्वारा अपने समर्थन में शिवाकांत नामदेव (प.सा.1) के कथन कराये है।

7. परिवादी साक्षी शिवाकांत नामदेव (प.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में परिवाद का समर्थन करते हुए बताया है कि परिवादी एवं अभियुक्त दोनों के मध्य

मधुर दोस्ताना संबंध थे व एक–दूसरे पर काफी भरोसा व विश्वास करते थे। अभियुक्त द्वारा अगस्त 2020 में अपने निजी जरूरतों की पूर्ति के लिये 50,000/– रूपये की आवश्यकता होने के कारण परिवादी से आठ माह की अवधि के लिये उधार मांगा था तब परिवादी ने व्यवस्था करके अभियुक्त को 50,000/– रूपये कृष्णा मार्केट देवी जी रोड मैहर स्थित भांजे की दुकान में दिया था। अभियुक्त द्वारा परिवादी से ली गयी उधार राशि 8 माह बीत जाने के बाद भी चुकता नहीं किया गया तब माह मई 2021 में रूपये की अति आवश्यकता होने पर परिवादी के द्वारा अभियुक्त से राशि वापस मांग की गयी तब अभियुक्त के द्वारा अतिशीघ्र उधार की राशि चुकता करने का आश्वासन दिया किंतु अभियुक्त के द्वारा राशि चुकता नहीं की गयी। माह अगस्त 2021 में पुनः अभियुक्त से कई बार रूपये की मांग की गयी जिस पर अभियुक्त दिनांक 15.09.2021 को परिवादी के पास आकर मां शारदा महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित शाखा मैहर के अपने खाता का चेक क्र. 29595 में राशि 50,000/– रूपये अंकित कर व अपने हस्ताक्षर तथा दिनांक 15.09.2021 की तिथि अंकित कर परिवादी को दिया था।

8. परिवादी साक्षी शिवाकांत नामदेव (प.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह कथन किया है कि परिवादी द्वारा उक्त चेक को आहरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा मैहर में दिनांक 15.09.2021 को जमा किया गया किंतु उक्त खाता में चेक अनुसार पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक अनादरित होकर बैंक शाख के द्वारा दिनांक 17.09.2021 के रिटर्न मेमो में दर्शित कारण ''फंड इनसफिसियंट'' की टीप के साथ परिवादी को वापस कर दिया। परिवादी द्वारा दिये गये उक्त चेक के अनादरण की जानकारी अभियुक्त को दी गयी, किंतु अभियुक्त उक्त चेक के अनादरण के संबंध में न तो परिवादी से कोई चर्चा किया और न ही चेक अनुसार राशि भुगतान में कोई सहयोग कर रहा है। परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 29.09.2021 को नोटिस के माध्यम से नोटिस

प्राप्त होने के 15 दिवस के अभियुक्त के द्वारा दिये गये चेक में अंकित राशि अनुसार रूपये चुकता करने हेतु अभियुक्त से मांग किया, किंतु अभियुक्त ने डाकिया से मिलकर गांव चले जाने की टीप लगवाकर उक्त नोटिस को वापस करा दिया गया है।

9. परिवादी साक्षी शिवाकांत नामदेव (प.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे यह कथन किया है कि उसने प्रकरण में अभियुक्त मुन्ना द्वारा दिया गया, मां शारदा महिला नागरिक सहकारी बैंक मैहर का चेक क्र. 29595 दिनांक 15.09.2021 प्रदर्श पी.1, जिसके ए से ए भाग पर अंग्रेजी में व बी से बी भाग पर हिंदी में अभियुक्त के हस्ताक्षर है। बैक द्वारा दिया गया चेक रिटर्न मेमो दिनांक 17.09.2021 प्रदर्श पी.2, उसके द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से भेजा गया नोटिस प्रदर्श पी.3, जिसकी डाक रसीद प्रदर्श पी.4 अभियुक्त को प्रेषित की गयी नोटिस वापसी लिफाफा प्रदर्श पी.5 है।

10. हस्तगत प्रकरण में परिवादी साक्षी शिवाकांत नामदेव (प.सा.1) द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्त के द्वारा उसके वैध ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन के लिए चेक क्रमांक 29595 दिनांक 15.09.2021 राशि 50,000/– रुपये का मां शारदा महिला नागरिक सहकारी बैंक मैहर का परिदत्त किया गया था। उक्त चेक को परिवादी द्वारा अपनी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मैहर में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उक्त चेक प्रदर्श पी.1 बिना भुगतान के दिनांक 17.09.2021 को फण्डस इनसफिशियन्ट की टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ था जिसका रिटर्न मेमो प्रदर्श पी.2 है जिसके संबंध में परिवादी द्वारा यह भी बताया है कि उसे अभियुक्त ने उपरोक्त चेक विधिक ऋण अथवा दायित्व के एवज में दिया था।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त **Baslingappa v. Mudibasappa (2019) 5 SCC 418** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार यदि अभियुक्त द्वारा चेक का निष्पादन स्वीकार कर लिया जाता है तो धारा 139

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के प्रावधान अनुसार यह उपधारणा की जायेगी कि उक्त चेक अभियुक्त द्वारा किसी विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को दिया गया है, पंरतु धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा खण्डनीय है और अभियुक्त पर उपधारणा के खण्डन करने का भार है। अभियुक्त को अधिसंभाव्यता की प्रबलता के सिद्धांत के आधार पर उक्त उपधारणा को खण्डित कर सकता है।

12. प्रकरण में बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि परिवादी के द्वारा अभियुक्त को राशि देने की दिनांक एवं वर्ष का उल्लेख परिवाद एवं शपथ पत्र में नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रकरण के परिवादी साक्षी शिवाकांत नामदेव (प.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 14 में यह बताया है कि उसने अपने परिवाद पत्र एवं शपथपत्र में यह बात लेख करा दी थी उसने कथित उधार की राशि किस तारीख, माह एवं सन् में आरोपी को दी थी, यदि उक्त बात उसके परिवाद पत्र व शपथपत्र में लेख न हो तो वह कारण नहीं बता सकता, स्वतः कहा कि परिवाद पत्र एवं शपथपत्र में उधार की राशि दिये जाने की दिनांक लेख नहीं है, माह व सन लेख है। प्रकरण में परिवादी द्वारा अभियुक्त को माह अगस्त 2020 में उधार राशि प्रदान किये जाने के संबंध में उसके परिवाद पत्र में लेख किया गया तथा इस संबंध में न्यायालीन कथन में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है, ऐसी स्थिति बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

13. प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभियुक्त ने उक्त चेक किसी अन्य व्यक्ति महेश नामदेव को दिया था, जिसका दुरूपयोग परिवादी द्वारा किया गया है। प्रकरण में यद्यपि अभियुक्त द्वारा यह बचाव लिया गया है कि उसने किसी महेश नामदेव नाम के व्यक्ति को चेक दिया था, परन्तु बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में उक्त व्यक्ति की साक्ष्य अथवा कोई अन्य ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त ने उक्त चेक

किसी महेश नामदेव नाम के व्यक्ति को दिया था। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवादी को मांग सूचना पत्र प्रदर्श पी.3 का भी कोई जबाव भी इस संबंध में परिवादी को प्रेषित नहीं किया है, जिसमें उक्त तथ्य उल्लेखित किया गया हो। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

14. प्रकरण में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि चेक की अंतर्वस्तु अभियुक्त के द्वारा लेख नहीं की गई है। इस संबंध में धारा 20 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 अवलोकनीय है जिसके अनुसार चेक यदि अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर करके दिया जाता है तो प्रथम दृष्टया चेक की अंतर्वस्तु लिखने की अधिकारिता भी परिवादी को देता है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत चेक पर उसके हस्ताक्षर होने के तथ्यों को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में धारा 20 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान अनुसार बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

15. परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में चेक अनादरण मेमो प्रदर्श पी. 2 प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें उक्त चेक क्रमांक तथा चेक राशि अंकित होकर ''Funds Insufficient'' की टीप के साथ में चेक अनादरित होना दर्शित है। परिवादी द्वारा चेक प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में बैंक में प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि ''अपर्याप्त निधि'' होने के आधार पर अनादरित हुए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत चेक अनादरण मेमो प्रदर्श पी.2 के संबंध में धारा 119 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की उपधारणा प्रयोज्य होती है जिसके अनुसार विधिपूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन में चेक अनादरण होना दर्शित है। प्रकरण में चेक अनादरण मेमो प्रदर्श पी.2 के संबंध में धारा 146 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान प्रयोज्य होते है जिसमे यह उपबंधित है कि यदि चेक अनादरण के संबंध में बैंक पर्ची या हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसमें कि यह तथ्य अंकित हो कि चेक अनादरित हो गया है उसके सही होने की उपधारणा की

जावेगी जब तक कि उसे नासाबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य प्रस्तुत न किया जावे। अतः उक्त प्रावधान के अनुसार चेक अनादरण मेमो सही होने की उपधारणा न्यायालय द्वारा की जाती है जिसके खण्डन में अभियुक्त द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में परिवादी द्वारा चेक को विधिमान्य अवधि के अंतर्गत बैंक में प्रस्तुत किया गया था जो कि अभियुक्त की बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के पालन में अभियुक्त के खाते में ''अपर्याप्त निधि'' होने से अनादरित हुआ है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **मेसर्स लक्ष्मी डायकेम विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात, क्रिमिनल अपील 1870– 1909/2012 निर्णय दिनांक 27 नवंबर 2012 (2013 Cr.L.J 3288)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि चैक यदि किसी भी कारण से अनादरित हुआ हो व मांग सूचना पत्र मिलने के बाद भी चैक जारी करने वाला कोई कदम नहीं उठाता है तब इसे अपर्याप्त निधि होने के कारण चैक का अनादरण माना जाएगा। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि परिवादी द्वारा चेक नियत अवधि में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित बैंक द्वारा अनादरित किया गया।

16. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अभियुक्त का कोई विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। इस संबंध में धारा 139 परक्राम्य लिखित अधिनियम विधि की खण्डनीय उपधारणा है जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर है। धारा 139 परक्राम्य लिखित अधिनियम यह उपबंध करती है कि अभियुक्त द्वारा चेक अपने वैधानिक दायित्वों के उन्मोचन में परिवादी के पक्ष में जारी किया गया हो। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **टी.पी. मुरूगन (डी.) द्वारा उत्तराधिकारी विरूद्ध बोजन एवं पोसा नंधी ए.आई.आर. 2018 एस.सी. 3601** में यह प्रतिपादित किया गया है कि, *once cheque has been signed and issued in favour of holder, there is a statutary presumtion that it is issued in discharge of legally enforceable debt or liability.* इसके अतिरिक्त

धारा–118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत जब तक प्रतिकूल साबित नहीं किया जाये, तब तक यह उपधारणा की जायेगी कि परिवादी को दिया गया चेक प्रतिफल के लिए लिखा गया था। अतः उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि एवं धारा–118 तथा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत उपधारणा के परिप्रेक्ष्य में परिवादी द्वारा अभियुक्त को विवादित चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के लिये देना प्रमाणित है। उक्त उपधारणा खण्डनीय है, अभियुक्त द्वारा प्रबलता की संभाव्यता से उसका खण्डन किया जा सकता है किंतु अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा के खण्डन मे ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि यह दर्शाता हो कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में विधिपूर्ण ऋण के दायित्व के उन्मोचन के प्रयोजन से चेक प्रदर्श पी.1 जारी नहीं किया गया है।

17. प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा परिवादी को 50,000/– रूपये के ऋण अथवा दायित्व की अदायगी हेतु एक चेक क्र. 29595 दिनांक 15.09.2021 दिया गया था जो परिवादी के द्वारा नियत समयावधि में भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अनादरित हुआ था। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण **''साबित''** के रूप में किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 व 04

18. प्रकरण में तथ्य एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने एवं सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में अब इस प्रश्न पर विचार किया जाना है कि क्या परिवादी द्वारा अभियुक्त को मांग सूचना पत्र प्रदर्श पी.3 इस बाबत् प्रेषित किया गया था कि प्रश्नगत चेक अपर्याप्त राशि की टीप के साथ अनादरित हो गया है व अभियुक्त द्वारा मांग सूचना पत्र प्रदर्श पी.3 प्राप्त हो जाने के पश्चात भी परिवादी को चेक राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में परिवाद व मुख्य परीक्षण के शपथपत्र के अवलोकन से दर्शित है कि चेक प्रदर्श पी.1 के अनादरित होने के दिनांक 17.09.2021 के पश्चात्

परिवादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से अभियुक्त को दिनांक 29.09.2021 का मांग सूचना पत्र प्रदर्श पी.3 प्रेषित किया गया था, जिसकी पोस्टल रसीद प्रदर्श पी. 4 है। पोस्टल रसीद पर दिनांक 29.09.2021 उल्लेख है। उक्त मांग सूचना पत्र प्रदर्श पी.3 ''प्राप्तकर्ता नहीं मिलने तथा अपने गांव चले जाते है'' की टीप के साथ परिवादी को वापस प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में वापसी लिफाफा प्रदर्श पी.5 है।

19. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि परिवादी की ओर से प्रेषित किया गया मांग सूचना पत्र अभियुक्त को प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में परिवादी साक्षी शिवाकांत नामदेव (प.सा.1) ने यह स्वीकार किया कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया कि आरोपी उसके परिवाद पत्र में लिखाये गये पते पर निवास करता है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा उसका कोई अन्य पता होने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **सी.सी. अलावी हाजी विरूद्ध पाला पेट्टी मोहम्मद (2007) 6 एस.सी.सी. 555** अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त परिवाद का सूचना पत्र मिलने के 15 दिन के भीतर चैक की राशि जमा करवा सकता है और फिर सूचना पत्र नहीं मिलने के तथ्य को चुनौती दे सकता है और न्यायालय से परिवाद निरस्त करने की प्रार्थना कर सकता है लेकिन यदि अभियुक्त परिवाद का सूचना पत्र मिलने के 15 दिन के भीतर राशि जमा नहीं करवाता है तो वह सूचना पत्र उचित रीति से तामील नहीं होने के बारे में परिवाद नहीं कर सकता या बचाव नहीं ले सकता। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा परिवाद का सूचना पत्र मिलने के 15 दिवस के भीतर राशि जमा नहीं करवायी है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। अतः विचारणीय प्रश्न कमांक 03 एवं 04 का निराकरण **''साबित''** के रूप में किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 05

20. फलतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की उपरोक्त समग्र विवेचना के परिपेक्ष्य में परिवादी अभियुक्त के विरूद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अपराध के सभी घटक युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिवादी द्वारा परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 142 के अंतर्गत वाद हेतु उद्भूत होने की दिनांक से एक माह के भीतर वर्तमान परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया किया गया है।

21. परिणामतः अभियुक्त मुन्ना पटेल पिता धर्मदास पटेल निवासी वार्ड नं. 24 थाना मैहर जिला सतना (वर्तमान जिला मैहर) म.प्र. को परकाम्य लिखत अधिनियम की **धारा 138** के अपराध का दोषी पाते हुये **दोषसिद्ध** किया जाता है।

22. वर्तमान समय में चेकों के अनादरण के प्रकरणों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जो कि आर्थिक संव्यवहारों तथा परकाम्य लिखितों की विश्वसनीयता को गंभीर क्षति कारित कर रहा है उक्त प्रकरण विगत लगभग 5 वर्ष की अवधि से लंबित रहा है जिससे परिवादी को आर्थिक कष्ट के साथ–साथ मानसिक पीडा भी सहन की है जो कि प्रकरण में उसके प्रति न्याय प्राप्ति के प्रति तत्परता को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के निराकरण में कारित विलंब व अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण की अन्य सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

23. चूंकि प्रकरण का विचारण समन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। इसलिए धारा 255(2) द.प्र.सं. / 278(2) भा.ना.सु.सं. के परिपेक्ष्य में अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है।

24. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं

है और न ही ऐसा कोई अभिवाक परिवादी की ओर से लिया गया है। इन परिस्थितियों में यह अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि मान्य किये जाने योग्य है।

25. अभियुक्त द्वारा परिवादी को उसके खाते का चेक देकर न केवल उसे लगभग 5 वर्ष तक की अवधि तक उसकी धनराशि से वंचित कर आर्थिक क्षति कारित की गई है एवं उक्त जैसे व्यक्तियों के कारण परक्राम्य लिखितों की विश्वसनीयता को भी क्षति कारित हो रही है, जो कि आर्थिक संव्यवहार के संबंध में उचित संदेश देने वाला तथ्य कतई नहीं कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित उक्त विधि के साथ–साथ **सुगंधी सुरेश कुमार विरूद्ध जगदीशन 2002 (1) ए.एन.जे. 363 एस.सी.** में प्रतिपादित सिद्धांत के परिपेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रकार की उदारता दिखाये जाने के बजाय उसे उसके द्वारा किये गये अपराध के समानुपातिक दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

26. अतः अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत **03 माह के सश्रम कारावास** के दण्ड से दंडित किया जाता है।

27. चूंकि अभियुक्त द्वारा किये गए कृत्य से परिवादी लगभग 5 वर्ष तक की अधिक तक अपनी धनराशि से वंचित रहा है। अतः माननीच उच्चतम न्यायालय द्वारा **आर.विजयन विरूद्ध बेबी एक अन्य (2012) 1 एस.सी.सी.260** में प्रतिपादित सिद्धांत के परिपेक्ष्य में <u>धारा 357(3) द.प्र.सं. / 395(3) भा.ना.सु.सं.</u> के प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर प्रतिकर के रूप में प्रश्नगत चेक की राशि **50,000/–रूपये,** 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से जारी किये जाने वाले चेक दिनांक 15.09.2021 से निर्णय दिनांक 11.07.2026 तक कुल राशि

71,700/– रूपये एवं निर्णय दिनांक से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत की दर से अवशेष ब्याज राशि अदा करे। प्रतिकर राशि अदायगी के व्यतिक्रम में अभियुक्त को **दो माह** साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त से वसूल की गई प्रतिकर की राशि बतौर क्षतिपूर्ति परिवादी को प्रदान की जावे।

28. धारा 359 दं.प्र.सं./400 भा.ना.सु.सं. के परिपेक्ष्य में अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर परिवादी को परिवाद के व्यय के रूप में **दो हजार रूपये** राशि संदत्त करे। उसके द्वारा उक्त राशि परिवादी को संदत्त किये जाने में व्यतिक्रम किये जाने की स्थिति में उसे **एक माह** का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

29. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त के पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं./468 भा.ना.सु.सं. का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जाये।

30. धारा 363(1) द.प्र.सं./404 भा.ना.सु.सं. के प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्त को दोषसिद्धि किये जाने से निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय मेरे निर्देश पर टंकित किया जाकर दिनांकित, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

स्थान– मैहर जिला सतना म0प्र0
दिनांक–11.07.2026

(पंकज कुमार श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मैहर जिला सतना म0प्र0

PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA

Digitally signed by PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.11 16:40:56 +0530